FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **जोधपुर**

सुजाराम **बनाम्** श्यामलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या – A/54/2025 **जीसीएमएस नं** 2025/164

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2025	प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द शर्मा, भवानी सिंह चौहान व श्यामसिंह राठौड़ उपस्थित। राजस्व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपस्थित अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 365/5 रकबा 0.1000 हैक्टेयर गै. मम.बाड़ा, खसरा संख्या 507 रकबा 9.0100 हैक्टेयर बारानी प्रथम एवं खसरा संख्या 507/1 रकबा 28.000 हैक्टेयर बारानी प्रथम वाके मौका ग्राम डांगियावास, पटवार हल्का डांगियावास, भू.अभि.नि. क्षेत्र डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर में अतंरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश जारी करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायालय विवेचन के अनुसार उभयपक्ष की बहस सुने बिना अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण को नोटिस/सम्मन जरिये सामान्य/रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 27/06/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
27/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी वकील द्वारा प्रा. पत्र बाबत विड्रो करने स्थगन प्रा. पत्र मय मुलवाद प्रस्तुत किया गया। शा.फि.हो। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र में निवेदन किया गया कि प्रार्थी प्रा. पत्र आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र	

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक), जोधपुर

A/54/2025
2025/164
U/S - 212 R.T.A. 1955

सुजाराम / श्यामलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत धारा 212 रा.का. अधि. 1955 जरिये प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर